कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, जौनपुर।

विज्ञप्ति संख्या– 4000 /व्यवस्थापन/2021–22/जौनपुर/दिनांकः जनवरी 11 ,2021

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2021–22 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–03/2021/2828/155 ई–2/तेरह–2020–02/2020 दिनांक 08.01.2021 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–21017/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2021–22/दिनांकः 09.01.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद जौनपुर में वर्ष 2021–22 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडलशॉप एवं भॉग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 15.01.2021 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2020–21 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिये अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2021 (मध्यान्ह 12.00 बजे) से दिनांक 22.01.2021 (मध्यान्ह 12.00 बजे) तक ई–लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी के माध्यम से दो चरणों में दिनांक 03.02.2020 एवं दिनॉक 23.02.2020 से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भॉग की फुटकर बिकी की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्ते जनपद की बेबसाइट **http://jaunpur.nic.in.** विभागीय बेवसाइट **www.oldupexcise.in** तथा ई–लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर देखी जा सकती है।

(धनश्याम मिश्र)
जिला आबकारी अधिकारी,
जौनपुर।

11/1/2021
(दिनेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
जौनपुर।

संख्या– 4001-17 /व्यवस्थापन/2020–21/जौनपुर/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि उक्त व्यवस्थापन हेतु जिला स्तरीय समिति में एक राजपत्रित अधिकारी नामित करने का कष्ट करें।
2– पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को व्यवस्थापन हेतु जिला स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– संयुक्त आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को आबकारी विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
4– संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी जोन, वाराणसी।
5– उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी प्रभार, वाराणसी।
6– विशेष कार्यकारी अधिकारी/आशुलिपिक, कलेक्ट्रेट, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
8– जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दो बहु प्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने एवं तत्संबंधी बिल को सत्यापित करने हेतु।
9– समस्त तहसीलदार, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
10–समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र, जौनपुर।
11–विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र अमरउजाला/हिन्दुस्तान जौनपुर को प्रत्येक दशा में दिनांक 13.01.2021 तक न्यूनतम स्थान एवं दर पर प्रकाशित करते हुए तत्संबंधी बिल को जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर से सत्यापित कराकर कार्यालय में भुगतान हेतु उपलब्ध करायें।

11.01.21
(धनश्याम मिश्र)
जिला आबकारी अधिकारी,
जौनपुर।